**प्रेस नोट** **20.09.2025**

**एक शातिर चोर गिरफ्ता, कब्जे से चोरी की 02 अदद साइकिल, 01 अदद मोबाइल बरामद --**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध /अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतत्व में दिनांक 20.09.2025 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान नदवासराय अण्डर पास सर्विस रोड पर चेकिंग कर रहे थे कि एक व्यक्ति काले रंग की पुरानी साइकिल से चेकिंग स्थल की ओर आ रहा था जिसे रूकने का इशारा किया गया तो पीछे साइकिल मोडकर भागने का प्रयास किया हम पुलिस वालें तत्परता से अपराधी होने की अशंका पर करीब 30-35 कदम पर घेर कर पकड लिये पकडे गये व्यक्ति से नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम रमाकान्त यादव पुत्र सुभाष यादव ग्राम हेमई थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 27 वर्ष बताया तथा भागने का कारण पूछने पर उसने अपने पास चोरी की पुरानी साइकिल व चोरी का मोबाइल पास मे होना बताया जिसके कब्जे से चोरी की 2 सायकिल व एक अदद चोरी की मौबाईल बरामद किया गया। उक्त प्रकरण के आधार पर मु0अ0स0 462/2025 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

1. रमाकान्त यादव पुत्र सुभाष यादव ग्राम हेमई थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब वर्ष 27

**पंजीकृत अभियोग**

1. मु 0सं0अ0462/2025 धारा 317(2) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ

**अपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 230/2023 धारा 379, 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 0314/2023 धारा 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 0411/2018 धारा 41,411 भादवि थाना घोसी , जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 0513/2016 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0 0512/2016 धारा 411 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ
6. मु0अ0सं0 68/2016 धारा 379,411 भादवि थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 636/2013 धारा 379 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ

**बरामदगी विवरण**

1. 02 एदद चोरी की साईकिल
2. एक अदद चोरी की सैमसंग टच मोबाईल जिसका IMEI I 3564944732664849/01 व IMEI- II 356957253264841/01

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण**

1. प्रभारी निरीक्षक घोसी प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 दिनेश कुमार यादव
3. उ0नि0 दिवाकर राना
4. का0 ऋषि कुमार उर्फ ऋषिकेश
5. का0 डब्लू सिंह

**दुष्कर्म मामले में वांछित 01 बाल अपचारी पुलिस अभिराक्षा में-**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध /अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतत्व में दिनांक 20.09.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अतरारी चुंगी के पास मु0अ0स0 349/25 धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

**05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार –**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के बिभिन्न थानो द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान थाना रानीपुर पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तगण अनिल कुमार, अरविन्द कुमार, रंजीत कुमार, पुत्रगण बालचन्द निवासीगण मन्डूसरा थाना रानीपुर जनपद मऊ, मो0 अनीस पुत्र इद्रीस निवासी फतेपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ व थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्ता नागेश्वरी पत्नी शोदा राम निवासी सिरसा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**एंटी रोमियो अभियान के तहत 11 को लोगों का बन्ध पत्र भरवाया गया तथा 01 के खिलाफ कार्यवाही की गयी-**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 20.09.2025 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय एण्टी रोमियो टीम के साथ थाना क्षेत्र में भ्रमणशील होकर स्कूल/कालेज, मन्दिर,मस्जिद व चौराहो पर चेकिंग किया गया। थाना कोपागंज पुलिस द्वारा में चेकिंग के दौरान सन्दिग्ध रुप से घूमते हुए पाये गये शोहदो को चेतावाली दी गयी तथा परिवार जन को बुलाकर हिदायत देकर कुल 07 का बन्ध पत्र भरवाये गये । साथ ही थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सन्दिग्ध रुप से घूमते हुए पाये गये शोहदो को चेतावाली दी गयी तथा

परिवार जन को बुलाकर हिदायत देकर कुल 04 का बन्ध पत्र भरवाये गये तथा अन्तर्गत धारा 168 बीएनएस के तहत नोटिस जारी करते हुए छोडा गया तथा 01 व्यक्ति के विरूद्ध 170,126,135 बीएनएसएस के तहत चालान किया गया।